



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 25 राँची, बुधवार

2 अगस्त, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ	भाग-4-झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क-स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5-झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि	भाग-7-संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2-झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9- विज्ञापन ---
भाग 3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

6 जून, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-116/2014 का० 3265--श्रीमती ऐनी रिकु कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 290/20) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ सम्प्रति अवर सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को विभागीय अधिसूचना संख्या-7412 दिनांक 29.11.2022 की कंडिका (ii) द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश को निम्नवत संशोधित किया जाता है-

- | | |
|--|--|
| क) दिनांक 01.11.2021 से 24.11.2021 तक (कुल 24 दिन) | - उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत । |
| ख) दिनांक 25.11.2021 से 17.02.2022 तक (कुल 85 दिन) | - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 एवं 234 के अंतर्गत अनुमान्य 170 दिनों का आधे वेतन की छुट्टी को 85 दिनों के पूरे वेतन की छुट्टी में रूपान्तरित कर कुल 85 दिनों की रूपान्तरित अवकाश के रूप में । |
| ग) दिनांक 18.02.2022 (कुल 01 दिन) | - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में । |
| घ) दिनांक 19.02.2022 से 08.03.2022 तक (कुल 18 दिन) | - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में । |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई, 2023

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-III)श्र.नि.-1323--श्री धनंजय कुमार सिंह संयुक्त श्रमायुक्त-1, मु., राँची को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त श्रमायुक्त-2, मु., राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री सिंह को अपने कार्यों के अतिरिक्त उप श्रमायुक्त दुमका का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-III)श्र.नि.-1324--श्रीमती अल्पना सिन्हा, संयुक्त श्रमायुक्त-2, मु., राँची को स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त श्रमायुक्त-1, मु., राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्रीमती सिन्हा को अपने कार्यों के अतिरिक्त उप श्रमायुक्त, हजारीबाग का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-III)श्र.नि.-1325--श्री राजेश प्रसाद, अपर निबंधक, श्रमिक संघ, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, झारखण्ड, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री प्रसाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त उप श्रमायुक्त, अनुश्रवण मुख्यालय एवं उप श्रमायुक्त, बोकारो का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-III)श्र.नि.-1326--श्री राकेश प्रसाद, निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अपर निबंधक, श्रमिक संघ, झारखण्ड, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। श्री प्रसाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त उप श्रमायुक्त, जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-III)श्र.नि.-1327--सुश्री दिप्ती लॉरी तिर्की, कैंटीन मैनेजर, मु. (श्रम अधीक्षक स्तर के) को स्थानान्तरित करते हुए श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक), गुमला के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-III)श्र.नि.-1328--श्री दिनेश भगत, राज्य श्रम संस्थान, डोरण्डा, राँची के अन्तर्गत फैकल्टी सदस्य (श्रम अधीक्षक स्तर के), अतिरिक्त प्रभार-श्रम अधीक्षक, लोहरदगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त कैंटीन मैनेजर, मु. (श्रम अधीक्षक स्तर के) का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है ।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-III)श्र.नि.-1329--श्री अविनाश कृष्ण, श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, राँची, (अतिरिक्त प्रभार-सहायक श्रमायुक्त, झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं श्रम अधीक्षक, राँची-1) को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, राँची एवं सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक), राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है, जो श्री प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा, उप श्रमायुक्त के संयुक्त श्रमायुक्त के पद पर प्रोन्नति एवं नवप्रोन्नत पद पर पदस्थापित किये जाने के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगा ।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-III)श्र.नि.-1330--श्री एतवारी महतो, श्रम अधीक्षक, पलामू (अतिरिक्त प्रभार-श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, पलामू एवं श्रम अधीक्षक, गढ़वा) को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, पलामू का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है, जो श्री प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा, उप श्रमायुक्त के संयुक्त श्रमायुक्त के पद पर प्रोन्नति एवं नवप्रोन्नत पद पर पदस्थापित किये जाने के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रेज्युस बाढ़),
सरकार के उप सचिव ।

**DEPTT. OF PERSONNEL, ADMINISTRATIVE REFORMS &
RAJBHASHA**

Notification

25 July, 2023

No.-1/Vividh-806/2023 Ka-4218--Shri Nitish Kumar, IAS (JH:2017), Deputy Development Commissioner. Khunti has been granted Permission to proceed on foreign tour to France from 30.07.2023 to 14.08.2023 for personal reasons on own cost and Sanctioned 15 days earned leave (Ex-India Leave) from 31.07.2023 to 14.08.2023 with permission to avail Gazetted/Public holiday leave of 30.07.2023 for the above mentioned tour vide notification number- 3043, dated 26.05.2023.

Shri Singh has also been granted permission to proceed on foreign tour to Switzerland, Netherlands and Czeck Republic along with the above mentioned tour to France.

Yours Sincerely,

(Vinod Kumar),

Under Secretary to the Govt.
